

WESTERN RAILWAY

P.S.No.34/2011

Headquarter Office,
Churchgate, Mumbai-20

No. EP(P&A)/70/B Vol.VII

Date: 09.03.2011

To.
All DRMs / CWMs & Units Incharge,
C/- Genl. Secy., WREU-GTR / WRMS-BCT.
C/- GS-All India SC/ST Rly Employees. Assn, 'W' Zone, Mumbai
C/- GS-All India CBC Rly Empl. Assn, Mumbai.


Sub: Rates of Dearness Allowance applicable w.e.f. 01.01.2010 &
01.07.2010 to the Railway employees continuing to draw their pay in
the pre-revised scale.

=====

A copy of Railway Board's letter No.PC-V/2009/A/DA/1 dated 03.02.2011
(R.B.E.No.17/2011 PC-VI/247) is sent herewith for information, guidance and
necessary action.

Railway Board's letter dated 17.11.2008 & 30.10.2009 mentioned therein
was circulated vide this office letter of even no. dated 17.12.2008 & 19.11.2009
(P.S.No.166/06) & (P.S. No. 205/09) respectively.

Encl: As above.


(S. Kademani)
Dy.CPO(HRD)
For General Manager(E)

-1-

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

Circulated under
P's No 34/2011

RBE No. 17/2011

New Delhi, dated 03-02-2011

No. PC-V/2009/AD/A/1

The General Managers/CAOIR,
All Zonal Railways & PUs
(As per standard mailing list)

Subj. - Rates of Dearness Allowance applicable w.e.f. 1-1-2010 and 1-7-2010 to the Railway employees continuing to draw their pay in the pre-revised scale.

In continuation of Ministry of Railway's letter of even Number dated 30-10-2009. (PC-VI/156, RBE No.195/2009) revising rates of Dearness Allowance w.e.f. 01-07-2009 in respect of Railway Servants who continue to draw their pay and emoluments in the pre-revised scales of pay (5th CPC Scale), the rates of Dearness Allowance admissible to these category of employees shall be enhanced from the existing 73% to 87% w.e.f. 1-1-2010 and 87% to 103% w.e.f. 1-7-2010. All other conditions as laid down in the Board's letter dated 17-11-2008 (RBE No.179/2008) will continue to apply.

2. This issued with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways

3. Hindi version is enclosed

[Authority: MoF's OM No.1 (3)/2008-FI (15), dated 31-03-2010 & 29-09-2010]

(N.P. Singh)

Dy. Director, Pay Commission - V
Railway Board

No. PC-V/2009/AD/A/1

New Delhi dated. 03-02-2011

Copy (with 40 copies) forwarded to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), New Delhi.

for Financial Commissioner, Railways

पश्चिम रेलवे

पी.एस.सं.34/2011

प्रधान कार्यालय,
चचीगट, मुंबई.

सं.इ.पी.(P&A)70/6/Vol.VII

दि. 09-03-2011

सभी चं.रे.प्र. /चु.का.प्र. और युनिट इनचार्ज.

प्रति : महामंत्री- वे.रे.प.यू.-ग्रांटरोड/वे.रे.म.सं.-मुंबई सेंट्रल.

प्रति: महामंत्री- ऑल इंडिया अ.जा./अ.ज.जा.रेल कर्म., एसो. 'वेस्ट' बोन,मुंबई.


प्रति: महामंत्री- ऑल इंडिया ओ.बी.सी.रेल कर्मचारी,एसोसिएशन, मुंबई.

विषय : संशोधन पूर्व वेतनमान में अपना वेतन ले रहे रेलवे कर्मचारियों पर 01.01.2010
तथा 01.07.2010 से लागू महंगाई भत्ते की दरें ।

रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 03.02.2011 के पत्र सं.पी सी-V/2009/ए/डीए/1 (आर बी ई
सं.17/2011 पी सी-VI/247) की प्रतिलिपी सूचना, मार्गदर्शन व आवश्यक कार्रवाइ के लिए
भेजी जाती है ।

उसमें उल्लेखित रेलवे बोर्ड के दिनांक 17.11.2008 और 30.10.2009 के पत्र को इस
कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 17.12.2008 और 19.11.2009 (पी एस सं.186/08 और
पी एस सं.205/09) के अंतर्गत क्रमशः परिपत्रित किये गये हैं ।

संलग्न : यथोक्त


(एस कहेमणी)
कृते महाप्रबंधक (स्था)

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्र.सं. पीसी-VI/247
सं. पीसी-V/2009/ए/डीव/1

आरबीई सं. 17/2011
नई दिल्ली, दिनांक: 02.02.2011

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर),
सभी भारतीय रेल एवं उत्पादन इकाइयां
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय: संशोधन पूर्व वेतनमान में अपना वेतन ले रहे रेलवे कर्मचारियों पर 01.01.2010
तथा 01.07.2010 से लागू महंगाई भत्ते की दरें।

रेल मंत्रालय के दिनांक 30.10.2009 के समसंख्यक पत्र (पीसी-VI/156, आरबीई सं. 195/2009) जिसमें उन रेलवे कर्मचारियों जो वेतन के संशोधन पूर्व के वेतनमानों (पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतनमान) में अपना वेतन तथा पॉसलब्धियां ले रहे हैं, के संबंध में 01.07.2009 से महंगाई भत्ते की दरें संशोधित की गई हैं, के क्रम में इन कोटियों के कर्मचारियों को स्वीकार्य महंगाई भत्ते की दरें 01.01.2010 से मौजूदा 73% से बढ़ाकर 87% तथा 01.07.2010 से मौजूदा 87% से बढ़ाकर 103% कर दी जाएगी। बोर्ड के दिनांक 17.11.2008 के पत्र (आरबीई सं. 179/2008) में यथा निर्धारित अन्य सभी शर्तें लागू रहेंगी।

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

[प्रतिकार: वित्त मंत्रालय का दिनांक 31.03.2010 तथा 29.09.2010 का कार्यालय आणव सं. 1(3)/2008-ई-11 (जी)]



(एन.पी. सिंह)

उप निदेशक, वेतन आयोग-V
रेलवे बोर्ड